मार्ले एवं मिन्टो सुधार (इण्डियन कौंसिल्स - भारतीय परिषद्)

पत्र सं. - 13

Indian Councils Act 1909

भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909

(मार्ले मिन्टो सुधार)

लार्ड मार्ले - भारत सचिव

लार्ड मिन्टो - भारत का गवर्नर जनरल / वायसराय

1909 का यह अधिनियम भारतीय प्रशासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम माना जाता है। 1892 के अधिनियम की अपेक्षा अधिक उन्नति का सूचक, भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में भागीदारी करने का अवसर, केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषद के सदस्यों एवं अधिकारों में वृद्धि, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की नियुक्ति।

सत्येन्द्र सिन्हा, पहला भारतीय और भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति का आरम्भ।

केन्द्रीय विधान मंडल का विस्तार

सदस्यों की कुल 69 कर दी गई

37 - सरकारी सदस्य

32 - गैर सरकारी सदस्य

37 सदस्यों में -

1 - गवर्नर जनरल

6 - गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी के स्थायी सदस्य

1 - असाधारण (Extra-ordinary Member - Commander-in-chief)

1 - जिस प्रांत में अधिवेशन होगा उसके गवर्नर

(कुल 9) (37-9 = 28 सदस्य)

28 सदस्य - गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत

32 गैर सरकारी सदस्य

- 05 मनोनीत
- 27 निर्वाचित
  - 13 – साधारण निर्वाचन मंडल (General Electorate)
  - 12 – विशेष वर्ग निर्वाचन मंडल
    - इसमें
      - 6 – भूस्वामियों के निर्वाचन मंडल
      - 6 – मुस्लिम निर्वाचन मंडल
  - 02 – वाणिज्य मंडलों से (बंगाल और बम्बई से एक-एक)

Total Members of Imperial Legislature = 69

- Officials = 37
  - Ex-officio = 9
    - Governor-General = 01
    - Ordinary Members of Governor General's Council = 06
    - Extra-ordinary Members = 02
      - Commander-in-chief
      - Governor of a Province where Meeting held
  - Nominated = 28
- Non-officials = 32
  - Nominated = 05
  - Elected = 27
    - Special Electorates = 2
    - General Electorates = 13
    - Class Electorates = 12
      - Landholders Constituencies = 6
      - Muslim Constituencies = 6

Scanned with CamScanner

प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार

बर्मा – 16

प्रती बंगाल और आसाम – 41

बंगाल – 52

मद्रास – 47

बम्बई – 47

संयुक्त प्रांत – 47

पंजाब – 25

प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था, लेकिन इनमें भी कुछ गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे, जिससे प्रांतीय विधान परिषदों में भी सरकारी नियंत्रण बना रहा।

जैसे – मद्रास में 47 सदस्य
↓
21 – सरकारी
26 – गैरसरकारी
↓
05 मनोनीत गवर्नर द्वारा
21 निर्वाचित
↓ इनमें मुस्लिम, जमींदारों, भू-स्वामियों, मद्रास विश्वविद्यालय, व्यापार मंडल, कम्पनी संघ, बागान मालिकों, नगरपालिका परिषदों तथा जिला बोर्डों द्वारा चुने जाते थे

(नोट – भारत सरकार ने मान लिया था कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भारत के लिए उपयुक्त नहीं, प्रतिनिधित्व वर्गों और हितों के आधार पर किया जाए क्योंकि भारत में विभिन्न जातियों, उपजातियों, धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं)

विधान परिषदों के कार्य

केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यों का विस्तार किया गया। सदस्यों को वाद-विवाद करने का, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु वैदेशिक, सैनिक संबंधी, राजनीति आदि पर प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। उन्हें मत देने का भी अधिकार नहीं था।

अधिनियम के दोष

- असंतुष्ट भारतीयों की आशा से बहुत कम
- हिन्दु और मुस्लिम में फूट डालने का प्रयत्न (पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के द्वारा)
- सीमित मताधिकार
- सदस्यों तथा उनके निर्वाचन क्षेत्रों के मध्य संपर्क का अभाव

अधिनियम के महत्व

- भारतीयों को जनता की शिकायतों को प्रकट करने का अधिकार
- भारतीयों को विधानमंडलों में स्थान देने से उनकी उच्च कोटि की मानसिक क्षमता, उत्कृष्ट वाद-विवाद और कौशल के प्रदर्शन का अवसर
- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को स्थान
- चुनाव के सिद्धांत को माना जाना

—— x ——

Scanned with CamScanner